आदेश पत्रक

न्यायालयः उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपदः मऊ, तहसील : घोसी

वाद संख्या :- 0569/2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्याः- T202015510200688

सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 शिवदान यादव

अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 शिवदान यादव, टकटेउवा रापुर-मऊ के खाता सं0-86 रकबा 1.2790हे0, 382 रकबा 0.3680हे0 व 293 रकबा 0.8690हे0 सम्बन्ध में दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिस पर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैनामा हासिल किया है वादि वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है, जो सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 शिवदान यादव एवं प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नियमानुसार सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 शिवदान यादव कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 07.05.2020 रिपोर्ट दी गयी कि मौजा टकटेउवा रामपुर खाता सं0-86 रकबा 1.2790हे0, 382 रकबा 0.3680हे0 व 293 रकबा 0.8690हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में उप निबन्धक घोसी द्वारा दी आख्या दिनांक 12.05.2020 में उल्लेख किया गया है कि खाता सं0-86 रकबा 1.2790हे0, 382 रकबा 0.3680हे0 व 293 रकबा 0.8690हे0 है। वर्तमान मूल्यांकन सूची द्वारा रूपये 5100 प्रति एअर की दर से मूल्यांकन रूपये होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्रावधानों के तहत वादि द्वारा मालियत का 1 प्रतिशत मूल्य 21520.00 रूपये चालान संख्या-21 दिनांक 19.05.2020 द्वारा राजकीय कोष में जमा किया गया तथा 1 प्रतिशत धन स्टाम्प के रूप में न्यायिक शुल्क न्यायालय में जमा किया गया। वाद दर्ज विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जो वाद तामिल संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में कोई आपत्ति दाखिल नहीं है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम-हरसरपुर के खाता सं0-86 रकबा 1.2790हे0, 382 रकबा 0.3680हे0 व 293 रकबा 0.8690हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक घोसी को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 21.05.2020

उपजिलाधिकारी

घोसी-मऊ

Scanned with CamScanner